



बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

एकीकृत 71वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा

एकीकृत 71वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में सम्पन्न प्रारम्भिक परीक्षा में घोषित कुल सफल— 14261 अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन आयोग के वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है।

रिक्ति: कुल रिक्तियों की संख्या 1298 है जिसका विवरण संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन पत्र आमंत्रण हेतु प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 30.05.2025 एवं उसके क्रम में दिनांक—17.06.2025 एवं 26.06.2025 को प्रकाशित शुद्धि पत्र में दिया गया है, जिसकी समेकित विवरणी निम्नवत है:—

सारणी – I

क्र. सं.	विभाग/पद एवं अन्य संवर्ग का नाम	वेतनमान	आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ							कुल पद	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी	दिव्यांग	न्यूनतम उम्र
			अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिला				
			महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या										
1.	अनुमंडल पदाधिकारी/वरीय उप समाहर्ता, बिहार प्रशासनिक सेवा	Level - 9	40	10	16	01	18	12	03	100	02	VI-01 DD-01 OH-01 MD-01	22 वर्ष
			14	04	06	00	06	04		34			
2.	पुलिस उपाधीक्षक, (बिहार पुलिस सेवा) गृह विभाग (आरक्षी शाखा)	Level-9	06	01	03	00	03	01	00	14	01	00	20 वर्ष
			02	00	01	00	01	00		04			
3.	अवर निबंधक/संयुक्त अवर निबंधक, मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	Level - 9	03	00	00	00	00	00	00	03	--	--	22 वर्ष
			01	00	00	00	00	00		01			
4.	श्रम अधीक्षक, श्रम संसाधन विभाग	Level - 9	03	01	00	00	05	00	01	10	--	--	22 वर्ष
			01	00	00	00	02	00		03			
5.	ईख पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग	Level - 9	06	02	03	00	03	02	01	17	01	DD-01	22 वर्ष
			02	00	00	00	01	00		03			
6.	सहायक निदेशक (समाजिक सुरक्षा कोषांग), समाज कल्याण विभाग	Level- 9	01	00	00	00	01	00	00	02	00	00	22 वर्ष
			00	00	00	00	00	00		00			
7.	सहायक निदेशक (दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग), समाज कल्याण विभाग	Level- 9	00	00	00	00	01	00	00	01	00	00	22 वर्ष
			00	00	00	00	00	00		00			
8.	सहायक निदेशक (बाल संरक्षण इकाई), समाज कल्याण विभाग	Level- 9	01	00	01	00	00	00	00	02	00	00	22 वर्ष
			00	00	00	00	00	00		00			

क्र. सं.	विभाग/पद एवं अन्य संवर्ग का नाम	वेतनमान	आरक्षण कोटिवार रिकित्तियाँ							कुल पद	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी	दिव्यांग	न्यूनतम उम्र
			अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिला				
			महिलाओं के लिए आरक्षित रिकित्तियों की संख्या										
9.	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं समकक्ष, सहकारिता विभाग	Level- 9	02	00	00	00	00	00	00	02	00	00	22 वर्ष
			00	00	00	00	00	00		00			
10.	अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	Level- 7	15	01	07	00	02	01	01	27	01	DD-02 MD-01	22 वर्ष
			04	00	02	00	00	00		06			
11.	राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, (बिहार राजस्व सेवा), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	Level- 7	16	03	03	03	12	07	01	45	01	OH - 01 MD - 01	21 वर्ष
			06	01	01	01	04	02		15			
12.	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग	Level- 7	10	02	03	00	00	07	00	22	--	DD - 01	21 वर्ष
			04	00	01	00	00	02		07			
13.	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सहकारिता विभाग	Level- 7	269	50	52	00	58	61	12	502	10	VI - 05 DD - 05 OH - 05 MD - 05	21 वर्ष
			94	18	18	00	20	21		171			
14.	प्रखंड अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण पदाधिकारी, अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण विभाग	Level- 7	04	01	03	01	00	04	00	13	--	--	21 वर्ष
			01	00	01	00	00	01		03			
15.	प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	Level - 6	183	46	74	04	83	55	14	459	09	VI - 05 DD - 04 OH-05 MD-05	22 वर्ष
			64	16	26	01	29	19		155			
TOTAL			559	117	165	9	186	150	33	1219	25		
			193	39	56	2	63	49		402			

सारणी - II (अन्य)

क्र. सं.	विभाग/पद/संवर्ग का नाम	वेतनमान	आरक्षण कोटिवार रिकित्तियाँ							कुल पद	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी	दिव्यांग	न्यूनतम उम्र
			अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिला				
			महिलाओं के लिए आरक्षित रिकित्तियों की संख्या										
01	वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष, (बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा) वित्त विभाग	Level -9	36	08	11	01	09	12	02	79	02	DD - 01 OH - 01 MD - 01	22 वर्ष
			13	03	04	00	03	04		27			
TOTAL			36	08	11	01	09	12	02	79	02	03	—
			13	03	04	00	03	04		27			

8

मुख्य (लिखित) परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना

I. मुख्य (लिखित) परीक्षा :-

क्र. सं.	परीक्षा/पद का नाम	अनिवार्य विषय (विषय कोड)	वैकल्पिक विषय	विषय कोड
01	71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा	(i) सामान्य हिन्दी (01) - 100 अंक (3 घंटा) (इस विषय में 30 प्रतिशत लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी।) (ii) सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र (02) - 300 अंक (3 घंटा) (iii) सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र (03) - 300 अंक (3 घंटा) (iv) निबंध (38) - 300 अंक (3 घंटा)	निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा, जो 100 अंक (100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ/MCQ प्रकृति) एवं परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। ऐच्छिक विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा परन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी।	
			कृषि विज्ञान	04
			पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान	05
			मानव विज्ञान	06
			वनस्पति विज्ञान	07
			रसायन विज्ञान	08
			सिविल इंजीनियरिंग	09
			वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि	10
			अर्थशास्त्र	11
			विद्युत इंजीनियरिंग	12
			भूगोल	13
			भू-विज्ञान	14
			इतिहास	15
			श्रम एवं समाज कल्याण	16
			विधि	17
			प्रबन्ध	18
			गणित	19
			यांत्रिक इंजीनियरिंग	20
			दर्शन शास्त्र	21
			भौतिकी	22
			राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध	23
			मनोविज्ञान	24
			लोक प्रशासन	25
			समाज शास्त्र	26
			सांख्यिकी	27
			प्राणी विज्ञान	28
			हिन्दी भाषा और साहित्य	29
			अंग्रेजी भाषा और साहित्य	30
			उर्दू भाषा और साहित्य	31
			बंगला भाषा और साहित्य	32
			संस्कृत भाषा और साहित्य	33
			फारसी भाषा और साहित्य	34
			अरबी भाषा और साहित्य	35
			पाली भाषा और साहित्य	36
			मैथिली भाषा और साहित्य	37

क्र. सं.	परीक्षा/पद का नाम	अनिवार्य विषय (विषय कोड)	वैकल्पिक विषय	विषय कोड
02	वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष	(i) सामान्य हिन्दी (01) – 100 अंक (3 घंटा) (इस विषय में 30 प्रतिशत लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी।) (ii) सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र (02) – 300 अंक (3 घंटा) (iii) सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र (03) – 300 अंक (3 घंटा)	निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा, जो 300 अंक (विषयनिष्ठ प्रकृति) एवं परीक्षा अवधि 3 घंटे की होगी। ऐच्छिक विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जायेगी।	
			वाणिज्य	43
			अर्थशास्त्र	44
			गणित	45
			सांख्यिकी	46

टिप्पणी :-

- प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना है, जिसमें सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-15568, दिनांक-21.08.2025 के आलोक में मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना है।
- एकीकृत मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा के सभी पदों के लिए अंकित अनिवार्य विषय वहीं होंगे, जो 71वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय हैं।
- एकीकृत मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा के विभिन्न पदों के लिए दिए गये वैकल्पिक विषय अलग होंगे, जिसमें से किसी एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा।
 - (i) प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे।
 - (ii) सभी भाषेतर विषयों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी या उर्दू लिपि में से किसी एक ही भाषा में उत्तर दिया जा सकता है। अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होगी।
 - (iii) प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश/उद्धृत अंश, यदि कोई है, का, चुनी गई भाषा के साथ, अंग्रेजी रूपान्तरण दे सकते हैं। इससे भिन्न स्थिति होने पर ऐसे उत्तर पुस्तिकाओं को मान्य करने/नहीं करने के संबंध में आयोग निर्णय लेगा।
 - (iv) कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक - 962, दिनांक-22.01.2021 के द्वारा मुख्य (लिखित) परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्ता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।
 - (v) मुख्य लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचित रिक्तियों के ढाई (2½) गुणा होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जायेगा।

सेवा/पद अधिमानता (Service/Post Choice):-

ऑनलाईन आवेदन में अधिमानता कोड एवं सेवा/पद का नाम का उल्लेख स्पष्ट रूप से करेंगे। जिस पद के लिए उम्मीदवार द्वारा अधिमानता अंकित नहीं की जायेगी, उस पद के लिए बाद में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किसी प्रकार के दावा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

व्यक्तित्व परीक्षण:-

- (i) मुख्य परीक्षा में सफलभूत उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण 120 अंकों का होगा।
- (ii) व्यक्तित्व परीक्षण हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षाफल हेतु बनाये जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किये जायेंगे।

4

स्वास्थ्य परीक्षण:-

व्यक्तित्व परीक्षण के पश्चात सभी उम्मीदवारों की आयोग में गठित चिकित्सक बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य जाँच अनिवार्य है। उक्त जाँच के समय नकद 16/रु. (सोलह रुपया) मात्र जमा करना अनिवार्य है। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जाँच के बाद यदि उम्मीदवार विहित सेवा के लिए निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह उस सेवा के नियुक्ति के लिए नहीं चुना जायेगा।

- (ii) आयोग बेंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित अभ्यर्थी (PwBD) द्वारा दावा किये गये दिव्यांगता की परीक्षण कराने के लिए स्वतंत्र होगा एवं परीक्षणोपरांत प्राप्त दिव्यांगता प्रतिशत अनुमान्य किया जायेगा।

मेधा सूची:-

- (i) एकिकृत 71वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा के 900 अंक (सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र – 300 अंक, सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र– 300 अंक, निबन्ध–300 अंक) एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक कुल – 1020 अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन किया जायेगा।
- (ii) वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए मुख्य परीक्षा के 900 अंक (सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र– 300 अंक, सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र– 300 अंक एवं एक ऐच्छिक विषय–300 अंक) एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक कुल– 1020 अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन किया जायेगा।
- (iii) अंतिम मेधा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार को मुख्य (लिखित) परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त है उसे मेधा क्रम में उपर रखा जायेगा। मुख्य (लिखित) परीक्षा के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में वैकल्पिक विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित किया जायेगा, वैकल्पिक विषय का प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र तथा जन्म तिथि समान होने पर उम्मीदवार के नाम को देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार मेधाक्रम में स्थान दिया जायेगा।
- (iv) मेधाक्रमानुसार उम्मीदवारों द्वारा भरी गयी सेवा अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर पद का आवंटन किया जायेगा।
- (v) आयोग सफल उम्मीदवार को विज्ञापन में वर्णित किसी भी सेवा/पद के लिए अनुशंसित करने का अधिकार रखता है, जिसके लिए उम्मीदवार ने इच्छा प्रकट की है तथा जिसके लिए आयोग उसे योग्य समझता है।
- वैसे अभ्यर्थी मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य लोक सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक, कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
 - संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जबाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाये जाने पर आपकी अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

I. आरक्षण:

- (i) आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासी को देय है। प्रचलित आरक्षण के नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर ही आरक्षण देय होगा।
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-12575, दिनांक-09.07.2025 के आलोक में सम्पूर्ण रूप से राज्य की मूल निवासी (आरक्षित वर्ग के साथ गैर आरक्षित वर्ग को भी) महिला अभ्यर्थियों को 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ देय होगा।
- (A) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं. 673, दिनांक 08.03.2011 एवं परिपत्र सं.-15760, दिनांक-02.09.2022 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार यथा; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :-
- (a) जाति प्रमाण पत्र
- (b) स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- (B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :-
- (a) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (फॉर्म-X) एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी/राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से।

- (C) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों के द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला प्रमाण-पत्र सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 एवं पत्र संख्या- 12123, दिनांक- 23.06.2023 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के

साथ संलग्न अनुसूची - I (प्रपत्र - I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। उपर्युक्त आरक्षण संबंधित सभी प्रमाण पत्र साक्षात्कार के दिन मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ संबंधित प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करेंगे।

- (iii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-8962, दिनांक-21.05.2025 के आलोक में बिहार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा।
- (iv) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-10668, दिनांक 29.06.2022 के आलोक में दिव्यांगों को दिव्यांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में चिकित्सा पर्वद से निर्गत स्थायी निःशक्तता (दिव्यांगता) प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (v) आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। साक्षात्कार के समय सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों के बिहार सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- (vi) आयोग द्वारा सभी सफल दिव्यांग अभ्यर्थियों को अंतिम चयन से पूर्व उनका अनिवार्य रूप से परीक्षण कराया जायेगा, जिसके आधार पर जो दिव्यांगता का प्रतिशत पायी जायेगी वही मान्य होगा।

नोट:- दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में IGIMS/AIIMS Patna से (मूकबधिर दिव्यांग (DD), चलन्त दिव्यांग (OH), मनोविकार दिव्यांग (MD), बहुदिव्यांग (MD) एवं दृष्टि दिव्यांग (VI)) में निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक- 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

नोट:- एकीकृत 71वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट जाति के आधार पर आरक्षण, दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण अथवा स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी के आधार पर आरक्षण के लिए किये गये दावे के आधार पर आरक्षण का लाभ देय होगा।

2. शुल्क:-

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-15568, दिनांक-21.08.2025 के आलोक में मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क देय नहीं है।

3. ऑनलाईन आवेदन पत्र से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:-

1.	ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	दिनांक : 03.12.2025
2.	ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	दिनांक : 24.12.2025

नोट:- एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपलब्ध कराये गये View Dashboard पर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे

मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन में कतिपय बॉक्स पूर्व से भरे होंगे एवं कतिपय बॉक्स रिक्त होंगे। उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा एकीकृत 71वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा का ऑनलाईन आवेदन भरने के समय जो विवरणी/सूचनाएँ भरी गई थी, वहीं सूचना/विवरणी मुख्य परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन में पूर्व से भरी रहेंगी। शेष सूचनाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन करते समय पदवार कंडिका-15 (Column-15) में प्राथमिकता के आधार पर सेवा/पद (सारणी I के क्रम संख्या-01 से 15 तथा सारणी II के क्रम संख्या-01) का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

उपर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है:-

- (i) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

- (ii) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail ID, Mobile No. तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी, इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।

- (iii) इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (iv) हार्ड कॉपी डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेंगे। ऑनलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है और यह स्वीकार्य नहीं होगा।
- (v) अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाईन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीले स्याही से हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए उक्त हार्ड कॉपी को स्वयं के पास रखना सुनिश्चित करेंगे।
- (vi) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number** अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (vii) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी अपलोड किये गये प्रमाण पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी की एक प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय हार्डकॉपी मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

महत्वपूर्ण निर्देश:-

सभी वांछित प्रमाण पत्र इस विज्ञापित पद हेतु एकीकृत 71वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिनांक-30.06.2025 तक का होना आवश्यक है।

- (i) मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के प्रमाण के लिए);
 - (ii) स्नातक अथवा समतुल्य डिग्री का प्रमाण पत्र;
 - (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र;
 - (iv) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (फॉर्म-X);
 - (v) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 के साथ संलग्न अनुसूची - I (प्रपत्र - I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र;
 - (vi) दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए चिकित्सा पर्वद द्वारा निर्गत (वैद्य) निःशक्तता प्रमाण पत्र;
 - (vii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के दावा करने वाले अभ्यर्थियों को जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत विहित प्रपत्र में प्रमाण पत्र;
 - (viii) अधिकतम उम्र सीमा में छूट सम्बन्धी दावा करने से सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र;
 - (ix) भूतपूर्व सैनिक / NCC के पूर्णकालिक कैडेट संबन्धी प्रमाण-पत्र;
 - (x) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त हो तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)
 - (xi) फोटो युक्त पहचान पत्र
4. योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र के निर्गत होने की तिथि, पूर्व में भरे गये प्रारम्भिक परीक्षा से संबंधित ऑनलाईन आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि तक का होना आवश्यक है।
5. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे त्रुटि सुधार का अंतिम अवसर (अधिकतम एक सप्ताह) देते हुए औपबंधिक रूप से साक्षात्कार में भाग लेने की सशर्त अनुमति दी जायेगी। यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अभ्यर्थी वांछित प्रमाण पत्र नहीं समर्पित कर पाते हैं तो उपलब्ध साक्ष्य के गुण दोष के आधार पर अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
6. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि निबंधन में अपलोड किये गये प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास उपलब्ध हैं।
7. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
8. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
9. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

३१/१२/२५

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना